

दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग (4) में प्रकाशित करने हेतु:-

कार्यालय उपायुक्त पुलिस: यातायात: यातायात अभियांत्रिकी : दिल्ली
दिल्ली यातायात पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली

अधिसूचना

जबकि, भारी एवं मध्यम माल वाहक वाहनों को दिल्ली की विभिन्न सड़कों पर जिसमें कि पुराना रोहतक रोड, उषा माता मंदिर, सराय बस्ती से लेकर आजाद मार्किट तक, भी शामिल है, पर ज्ञापन संख्या 4867-5057/टीई (डी-11)/यातायात दिनांक 06.06.2006 के द्वारा 24 घंटे चलने एवं खड़ा करने पर प्रतिबन्धित किया गया था ।

और जबकि, इससे आपूर्तिकर्ताओं को किशनगंज मालगोदाम, उत्तरी रेलवे पर अनिवार्य वस्तुओं की आपूर्ति करने में परेशानी उत्पन्न हो रही है ।

और जबकि, किशनगंज मालगोदाम, उत्तरी रेलवे पर अनिवार्य वस्तुओं की सुगम आपूर्ति हेतु और साथ ही साथ क्षेत्र में यातायात के सुगम एवं सुरक्षित प्रवाह को सुनिश्चित करने हेतु पुराना रोहतक रोड पर किशनगंज मालगोदाम, उत्तरी रेलवे से वाई - प्वाइंट किशनगंज तक भारी व मध्यम माल वाहक वाहनों के चलने एवं खड़ा करने पर वर्तमान में लागू प्रतिबन्धित समय को संशोधित करना आवश्यक है ।

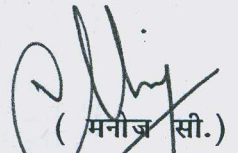
अतः मैं, मनोज सी., उपायुक्त पुलिस, यातायात (यातायात अभियांत्रिकी) दिल्ली, दिल्ली में सड़कों व गलियों पर वाहन व अन्य यातायात नियम 1980 की धारा 30(1) जिसके अन्तर्गत मुझे अधिकार प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए पुराना रोहतक रोड पर किशनगंज मालगोदाम, उत्तरी रेलवे से वाई - प्वाइंट किशनगंज तक, भारी व मध्यम माल वाहक वाहनों को चलने एवं खड़ा करने पर वर्तमान में लागू प्रतिबन्धित समय 24 घंटे को संशोधित करते हुए व्यस्त घंटे अर्थात् प्रातः 7.00 बजे से 11.00 बजे एवं सांय 5.00 बजे से रात 9.00 तक करता हूँ, अगले आदेश तक ।

सामान्य जनता के सूचनार्थ इस आदेश को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा तथा समस्त जिला पुलिस उपायुक्तों व थानों दिल्ली/नई दिल्ली के सूचना पट्टों पर इसकी एक प्रति चिपकाई जाएगी ।

संबंधित अधिकरण एवं सड़क रख-रखाव प्राधिकरण जन साधारण को सूचनार्थ एवं सुविधा हेतु आवश्यक संकेत पट्ट पर प्रतिबंधित संकेत को इंगित करते हुए लगाएंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

मेरे द्वारा इस कार्यालय की मोहर के साथ दिनांक 09/12/2015 को जारी किया गया ।


(मनोज सी.)

उपायुक्त पुलिस : यातायात
(यातायात अभियांत्रिकी): दिल्ली

सं. 8906-9057 /या. अभि. शा.(डी.-2)/यातायात, दिनांक दिल्ली, 09/12 /2015.

प्रतिलिपि समस्त कार्यालयों को प्रेषित है जैसा कि अंग्रेजी आदेश में ।